फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री भंवरसिंह रावत निवासी धर्मेशपुरी, तहसील भीम, जिला राजसमंद

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम
लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 08/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.03.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से जरिये क्रमांक :– सू.अ./2024/188 दिनांक 22.02.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत नामान्तरण संख्या ई.नं. 746 दिनांक 04.10.2024 वसीयत से भूरी बेवा उदय सिंह के बजाय खीम सिंह, माल सिंह, लक्ष्मण सिंह, भैरूसिंह पिता देवी सिंह दर्ज मंजुरी है इससे पूर्व के नामान्तरण का विवरण के तहत नामान्तरण संख्या 746 की चाही गयी सूचना तहसीलदार भीम के पत्र क्रमांक 163 दिनांक 09.02.2024 को प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गयी है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से जरिये पत्रांकः भू.अ./आर.टी.आई./2024/174 दिनांक 14.02.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री भंवर सिंह रावत निवासी धर्मेशपुरी तहसील भीम के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन दिनांक 17.11.2023 में वांछित सूचना प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ./आर.टी.आई./2024/174 दिनांक 13.02.2024 से स्वयं प्रार्थी द्वारा प्राप्त कर ली गयी है लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम तथा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर